संख्या-07/2021/एच०एस०-19/52-4-2021-बजट(14)/2017

प्रेषक,

इच्छाराम,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव/कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग- 4 **लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2021**

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रान्तीय हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान (**प्रथम किश्त**) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 2,21,54,000/- (रू० दो करोड़ इक्कीस लाख चौव्वन हजार मात्र) के सापेक्ष **प्रथम किश्त** के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि **रू० 1,10,77,000/- (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार मात्र)** स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि (रूपये में)	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	31-सहायता अनुदान सामान्य-(वेतन)	2,21,54,000/-	1,10,77,000/-
	कुल	(रू० दो करोड़ इक्कीस लाख चौव्वन हजार मात्र)	(एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार मात्र)

(1)- धनराशियों का प्रवेशंन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदर्शों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग "नई मदों/सेवाओं " पर व्यय के लिए न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3)- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुश्चित किया जाय।

(5)- धनराशि का यथा-समय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी०एम०-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य-03-प्रान्तीय हज अनुदान के 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या-07/2021/एच०एस०-19 (1)/बावन-4-2021, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकर, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in